संख्या– /XXVIII(1)/19-19(मे0का0)/2015

प्रेषक

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 26 जून, 2019

विषयः चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड/अनुबन्ध पत्र को लागू किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में एम0बी0बी0एस0 एवं एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रमों में रियायती शिक्षण शुल्क के एवज में राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड की सुविधा अनुमन्य है। बॉण्डधारी चिकित्सकों को बॉण्ड की शर्तों के क्रम में राज्य के पर्वतीय, दुर्गम–दुरस्थ क्षेत्रों में संविदा पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति दी जाती है। वर्तमान में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत चिकित्सकों के कुल 2735 सृजित पदों के सापेक्ष 2056 पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं। अतः इस प्रकार राजकीय मेडिकल कॉलेजों से पासआउट होने वाले चिकित्सकों से उक्त सभी रिक्त पद भर जायेंगे।

2– राजकीय मेडिकल कॉलेजों से राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड/अनुबन्ध पत्र के अनुसार पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर/जूनियर रेजिडेन्सी पर तब तक नहीं रखा जाता है, जब तक कि उनके द्वारा अनुबन्ध पत्र के अनुसार सेवायें दुर्गम–दुरस्थ क्षेत्रों में पूर्ण न की हों। जिस कारण राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर/जूनियर रेजीडेन्टो की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड/अनुबन्ध पत्र पर नॉन क्लीनिकल विषयों में पी0जी0 पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सकों को प्रान्तीय चिकित्सा सेवा (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) में उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप पद उपलब्ध नहीं है।

3– उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

i– राजकीय मेडिकल कॉलेज, देहरादून और हल्द्वानी में बॉण्ड की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

ii– वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल तथा सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा में छात्रों के लिए बॉण्ड की सुविधा ऐच्छिक आधार पर अनुमन्य होगी।

E:\Yashwant Sir\Draft 2019.doc

iii— सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ऑल इण्डिया कोटे के माध्यम से एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों के लिए बॉण्ड अनुमन्य नहीं होगा अर्थात वे पूर्ण शुल्क पर ही पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे।

iv— राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सक एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त प्रथम वर्ष जूनियर रेजीडेन्ट, दूसरे व तीसरे वर्ष की सेवायें राज्य के दूर्गम—दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, अंतिम दो वर्षों की सेवायें राज्य के जिला चिकित्सालयों/पर्वतीय/सुगम क्षेत्रों में देंगे।

v— नॉन क्लीनिकल विषयों के पी0जी0 पाठ्यक्रमों में चयनित छात्रों हेतु बॉण्ड की अनुमन्यता नहीं होगी, क्योंकि प्रांतीय चिकित्सा सेवा में राज्य के सुदूरवर्ती स्थानों पर अवस्थित चिकित्सालयों में उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप पद नहीं है।

vi— राजकीय मेडिकल कॉलेजों से उत्तीर्ण परा—स्नातक चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रथम वर्ष की सीनियर रेजीडेंसी करने की अनुमति होगी एवं इस अवधि को बॉण्ड की शर्तों में उल्लिखित अवधि में सम्मिलित माना जायेगा। शेष दूसरे वर्ष की सेवायें राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में देंगे।

vii— बॉण्ड की धनराशि समय—समय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

4— कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या— 839 /XXVIII(1)/19-19(मे0का0)/2015 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2— निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4— महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5— समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
6— कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।

E:\Yashwant Sir\Draft 2019 doc